राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे, रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर।

क्रमांक एफ 16 (1)(304)वि.अनु./ब.घो.सं. 67/सान्याअवि/11-12/ 21749 जयपुर, दिनांक : 14/09/2011

विषय : स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से 50 की क्षमता के मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह स्थापित/संचालित किये जाने हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं को देय अनुदान।

बजट घोषणा वर्ष 2011-12 के अनुसार राज्य के अजमेर, बीकानेर,, उदयपुर, कोटा एवं भरतपुर संभाग मुख्यालयों पर 50 व्यक्तियों की क्षमता के मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह स्थापित कर संचालित किये जाने है। इस हेतु चयनित स्वयं सेवी संस्था को नियमानुसार निर्धारित निम्नांकित मदों में अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

सरकार (विभाग) द्वारा योजनान्तर्गत निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत एवं निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठित, सक्षम स्वयं सेवी संस्था, जो 50 की क्षमता का संभाग स्तरीय मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह संचालित करने में समर्थ हो, को 50 मानसिक विमंदितों की एक इकाई के आधार पर गृह संचालन व्यवस्था हेतु निम्नलिखित मदों/अनावर्तक मदों में अनुमानित वार्षिक देय अनुदान राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है, :-

PROJECT FOR M.R. HOME

Mentally Retarded Disabled

मद/अनावर्तक मद (50 की यूनिट हेतु)

क्र. सं.	पदनाम (Post)	संख्या	मानदेय (Proposed Cost)	मानदेय (Total Annual Cost)	शैक्षणिक योग्यता/ अन्य	विशेष विवरण
1	प्रोजेक्ट सुपरवाईजर (Project Supprvisor)	1	8200 रु. प्रतिमाह (8200x12x1=)	98400	संबंधित क्षेत्र में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से बी.एड. /डिप्लोमा एवं 2 वर्ष का अनुभव	
2	केयर टेकर (Special Care taker)	3	4000 रु. प्रतिमाह प्रति केयर टेकर (4000x12x3=)	144000	हायर सैकेण्डरी	(24 घण्टे देखरेख के लिए 8-8 घण्टे के तीन पारियों हेतु)
3	रसोईया	2	4050 रु. प्रतिमाह प्रति केयर टेकर (4050x12x2=)	97200	साक्षर	(25 लाभार्थियों के लिए एक)
4	आया/सहायक (Ayah/Attandant).	15	4050x12x15=	729000	साक्षर	(10 लाभार्थियों के लिए एक, 50 आवासीयों पर 5 एवं 8-8 घण्टे की तीन पारियों हेतु 5x3x=15)
5	पार्ट टाइम चिकित्सक विशेषज्ञ (क) मनोचिकित्सक (1) (ख) जी.डी.एम.सी. (1) (ग) नैदानिक मनोविज्ञानी(1)	3	590 रु. प्रति विजिट	212400	MD or PG in area of Specialization	(2 घण्टे की विजिट एवं माह में 10 घण्टे विजिट)
6	नर्सिंग कर्मचारी	6	4650x6x12=	334800	Diploma in area	(8-8 घण्टे की तीन पारियों हेतु एवं प्रति पारी 2 कर्मचारियों हेतु क्रमशः 2x3=6 नर्सिंग स्टाफ)
7	चौकीदार	3	4050x12x3	145800	साक्षर	8-8 घण्टे की तीन पारियों हेतु

Non Honorarium Recurring Items						
8	गवन किराया (Rent for 50 beneficiaries)	प्रतिमाह	(14000 रु. प्रतिमाह x12x =	168000	भवन किराये के रुप में प्रोजेक्ट हेतु प्रयुक्त एरिया का किराया जो कि पी.डबल्यू.डी. के द्वारा निर्धारित हो अथवा किरायानामा में अंकितानुसार हो, में से जो भी कम हो स्वीकृत की जायेगी।	
9	भोजन भत्ता	प्रतिमाह	भोजन आदि हेतु 1250 रु. प्रतिमाह प्रति आवासी (1250x12x50=)	750000	भोजन, नाश्ता, तेल, साबुल, जुते गोजे एवं अन्य आवश्यक सामग्री	
10	विविध व्यय (Contingencies) Rs. 10000 per month	प्रतिमाह	(10000x12)=	120000	इस मद में पोस्टेज, यातायात, टेलीफोन, स्टेशनरी, कार्यालय व्यय, बिजली-पानी एवं भवन/इक्यूपमेन्ट आदि का मरम्मत एवं रखरखाव सम्मिलित है।	
11	आवासीयों हेतु चिकित्सा सुविधा एवं दवाईयां	प्रतिमाह	300 रु. प्रति आवासी प्रतिमाह 300x12x50=	180000	इस मद में आवासीयों को आवश्कतानुसार दवाईयां एवं अन्य चिकित्सा सामग्री हेतु	
Non Recurring Items						
1	आवासीयों के रहने, खाने-पीने आदि की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु,	एकमुश्त	4000 रु. प्रति आवासी 4000x50=	200000	राज्य सरकार के नोमर्स अनुसार पलंग, रजाई-गद्दा, दरी, तकिया, चद्दर, कम्बल, भोजन हेतु बर्तन, रसोई तैयार करने हेतु बर्तन, भट्टी, गैस एवं अन्य आवश्यक सामग्री	आवासीयों के रजाई, गद्दा दरी, तकिया, कम्बल आदि 2 वर्ष हेतु
	कुल अधिकतम प्रोजेक्ट योग			3179600		

नोट :-

1. स्टाफ के नियुक्त होने पर वास्तविक रूप से दिये जा रहे मानदेय एवं अधिकतम अनुमानित सीमा में से जो भी कम होगा, देय होगा। अनुमानित वार्षिक देय राशि 50 लाभान्वितों की एक यूनिट के हिसाब से है।
2. मानसिक विमंदित आवासीयों हेतु अनावर्तक मद अन्तर्गत रजाई-गद्दे हेतु दो वर्ष पश्चात प्रति आवासी 600 रुपये तथा तकिया, कम्बल, दरी आदि हेतु दो वर्ष पश्चात प्रति आवासी 500 रुपये विभाग द्वारा बजट सीमा तक स्वीकृत किये जा सकेंगे।
3. अनावर्ततक मद में क्रय की गई सामग्री की स्टाक प्रविष्टि की जायेगी तथा बिलो की छाया प्रति संस्था द्वारा जिला सामाजिक न्याय अधिकारिता अधिकारी के द्वारा भौतिक सत्यापन एवं प्रमाणिकरण बाद निदेशालय को प्रस्तुत की जावेगी।
4. अनुदान राशि के लेखों का संधारण नियमानुसार किया जावेगा तथा वे भारतीय नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, महालेखाकार, राज.,जयपुर एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता अधिकारियों हेतु सदैव खुले रहेंगें।
5. अनुदान से जनित सामग्री का स्वामित्व विभाग का होगा संस्था इस सम्पत्ति को बंधक, नष्ट अथवा बेचान नहीं कर सकेगी तथा सामग्री का रख-रखाव संस्था को अपने स्तर पर करना होगा
6. संस्था की विपरित रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामग्री राशि पुनः वसूल करली जायेगी।
7. स्वीकृत राशि का उपयोग उन्ही कार्यो के लिए किया जायेगा, जिनके लिए स्वीकृति की गई है तथा निर्धारित प्रारुप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को प्रस्तुत किये जायेगे।
8. अनुदान से जनित सामग्री को संस्था बन्द करने की स्थिति में विभाग (संबंधित जिला सान्याअवि कार्यालय) को लौटाना होगा।
9. स्वीकृत मदों में अनुदान वास्तविक व्यय/क्रय अथवा निर्धारित राशि मैं से जो भी कम है, स्वीकृति योग्य है।
10. संस्था को अनुदान स्वीकृति से पूर्व विभाग को रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा।
11. आवर्तक एवं अनावर्तक मद में उपरांकित दरें अनुमानित है, जो विभाग द्वारा उपलब्ध बजट प्रावधान के अनुसार कम अथवा अधिक करने हेतु प्रशासनिक विभाग (सान्याअवि) अधिकृत होगा।
12. अन्य मदों में स्वीकृति प्रशासनिक विभाग द्वारा दिशा-निर्देशों में अंकितानुसार बजट सीमा तक सक्षम स्वीकृति बाद स्वीकृत किये जा सकेंगे।

उपरोक्त अनुदान की दरें एवं शर्ते वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 161100826 दिनांक 04.08.2011 के द्वारा दिये गये सुझावों की पालना में जारी की जाती है।

निदेशक
एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक : एफ 16 (1)(304)वि.अनु./ब.घो.सं./ 67/सान्याअवि/11-12/ 71750-72 जयपुर, दिनांक : 14/09/2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा संख्या-67 के क्रम में।
3. निजी सचिव, राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, अजमेर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर एवं उदयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यावास।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर एवं उदयपुर।
10. सहायक लेखाधिकारी, भुगतान, मुख्यावास।
11. लेखाकार, भुगतान/बजट/ऑडिट/अंक मिलान, मुख्यावास।

उप निदेशक (वि.क.)

D:\Perx\HANDICAPPED\S.S\Budget Ghoshna 2011-12.doc

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी-3/1-ए, राजमहल रैजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 16(1)( )वि.यो./ब.घो. 2016-17 घोषणा संख्या-107/16 2568 जयपुर, दिनांक 20/5/16

आदेश

बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के पैरा 107 पर की गई घोषणा के क्रियान्वयन के अनुक्रम विशेष योग्यजन विभाग में अनुदानित संस्थाओं द्वारा विशेष योग्यजन के लिए संचालित आवास विद्यालयों/छात्रावास एवं मानसिक विमन्दित पुर्नवास गृहों की मैस/भोजन भत्ते की राशि रु 1900 प्रतिमाह प्रति छात्र को बढ़ाकर रु. 2000/- प्रतिमाह प्रति छात्र/प्रति आवासी 01 जून, 2016 से क की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अनुसार आवासीय विद्यालय/छात्रावास 10 माह प्र सत्र, प्रति छात्र एवं मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह में आवासीयों हेतु 12 माह प्रति सत्र प्रति आवासी लिए रु. 2000/- का मदवार विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है :-

क्र.सं.	मद	प्रतिमाह राशि
1.	भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईधन इत्यादि	1410
2.	स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, जूतें, मोजे, तोलियें एवं गर्म जर्सी इत्यादि	250
3.	सिर पर लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटिंग	70
4.	चद्दर, तकिया, खोली व खेस आदि धुलाई	45
5.	बिजली-पानी	145
6.	समाचार पत्र-पत्रिकाऐं आदि	25
7.	छात्रावास की सफाई	55
	योग	2000

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 161600561 दिनांक 16.05.2016 अनुसरण में जारी की जाती है तथा संशोधित दरें 01 जून, 2016 से लागू होगी, अन्य शर्ते पुर्वानुस रहेगी।

(सत्य प्रकाश बसवाला)
निदेशक
एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक : एफ 16(1)( )वि.यो./ब.घो. 2014-15 घोषणा संख्या-172/14/ 2569-2580 जयपुर, दिनांक 20/5/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय, सचिवालय, जयपुर को वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा के क्रम में।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर को आई.डी. संख्या 161600561 दिनांक 16.05.2016 के अनुसरण में।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन।
7. अतिरिक्त निदेशक/लेखाधिकारी/उप निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, मुख्यावास।
8. उपायुक्त (विशेष योग्यजन), राजस्थान, जयपुर।
9. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग...।
10. अध्यक्ष/सचिव/मंत्री...
11. आदेश पत्रावली।

(रामजी लाल गुप्ता)